संख्या-288/2016/1613/22-2-2016-17(152)/2012

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 19 दिसम्बर, 2016***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कुंवरपाल पुत्र श्री चोखेलाल, निवासी-जनपद-अलीगढ़ की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34884/प्रो0-5-दयायाचिका समिति की बैठक-12-09-2016, दिनांक 26.09.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कुंवरपाल पुत्र श्री चोखेलाल, निवासी-रसूलपुर, थाना-लोधा, जिला-अलीगढ़ का रहने वाला है। बन्दी द्वारा बाग की रखवाली की रंजिश को लेकर दिनांक 28;12;1978 को बन्दी ने अपने दो सहअभियुक्तों के साथ मिलकर गला दबाकर 02 व्यक्तियों की हत्या कारित की तथा विसमिल्ला के साथ मिलकर बलात्कार कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-247/1979 में भा0द0वि0 की धारा-363,366,376,/34,392,302/34,201 के अन्तर्गत मा0 सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 15-12-1981 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी के 01 सहअभियुक्त की मृत्यु तथा 01 अन्य सहअभियुक्त कारागार में सजा भुगत रहे है। बन्दी द्वारा दिनांक 09.09.2016 तक 21 वर्ष 11 माह 29 दिन की अपरिहार एवं 28 वर्ष 04 माह 03 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ ने बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता, बन्दी के परिवारी जनों से बन्दी की जान को खतरा होने तथा बन्दी के परिवार की समाजिक आर्थिक दशा ठीक नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। दयायाचिका समिति ने बन्दी की कारित अपराध की प्रकृति, जिला मजिस्ट्रेट तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी कुंवरपाल (बन्दी संख्या-4886) पुत्र श्री चोखेलाल, निवासी-जनपद-अलीगढ़ की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-288/2016/1613/(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in